न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।

सेशन ट्रायल नं0– 1065 / 2019
आर.सी.–4(एस) / 2019 / सीबीआई / एससीबी / लखनऊ
धारा–147,149,329,364ए,386,394,411,420,467,468,
471,506,120बी. भा0द0सं0
एफ0आई0आर0 नं0– 810 / 2018

दिनांक 13.03.2023

अभियुक्त इरफान अहमद द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–36 उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र बी–36 अभियुक्त इरफान अहमद की ओर से उन्मोचन हेतु इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं दिनांक 29.12.2018 को धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज किये गये बयान में कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक अभियुक्त व सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्दीन को शिकायतकर्ता के कार्यालय से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उस समय तक उसके विरूद्व कोई आरोप प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में नहीं लगाया गया था फिर पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से विधि विरूद्व तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा झूंठे तरीके वादी मुकदमा की फारचयूनर गाडी की चाभी तथा उक्त गाडी सिल्वर हाइट अपार्टमेंट से आवेदक की निशादेही पर बरामदगी का आरोप लगाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। उसने अपने मालिक उमर के निर्देशों का अनुपालन किया है। वह निर्दोष है और पुलिस द्वारा गलत तरीके से मनमाने ढंग से उसे आरोपित किया गया है। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा उसके विरूद्व धारा 364ए भा0द0सं0 की बढोत्तरी की गई है। दिनांक 02.01.2019 को जेल में सह अभियुक्त मुख्तार अहमद, आलमगीर, बलाकतअली अंसारी वं दयानन्द के साथ शिनाख्त परेड कराई गई थी। दिनांक 12.01.2019 को उसका अतिरिक्त बयान भी दर्ज किया गया था। सी0डी0आर0 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मोहित जायसवाल ने कहीं भी उसका नाम नहीं लिया है। उसके विरूद्व कोई भी साक्ष्य नहीं है। विवेचनोपरांत गलत तरीके से उसके विरूद्व आरोप पत्र सी0बी0आई0 द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस पर कोई भी अपराध नहीं बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष द्वारा बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद द्वारा मोहित जायसवाल को डरा धमका कर पैसे की मांग किया और जब मोहित जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया तब अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी उसे उसकी गाडी सहित उठा कर देवरिया जेल ले गये और जहॉ अभियुक्त अतीक अहमद एवं उसके सहयोगियों द्वारा उसे डरा धमका कर मारा पीटा गया तथा मोहित जायसवाल को धमकाते व डराते हुए उसकी फर्मो को अपने सहयोगियों जकी अहमद व मो0 फारूख के नाम बलपूर्वक स्थानान्तरित करवा लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित हुई थी। शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल ने अपने बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में स्वीकार किया है कि सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने उसका अपहरण उसकी ही गाडी नं0 यू0पी032 जे आर 1804 फारच्यूनर से देवरिया जेल ले गये है, जहॉ उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया तथा बलपूर्वक डरा धमका कर कई दस्तावेजों पर उसके व उसकी बहन के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। दौरान विवेचना उक्त वाहन आवेदक अभियुक्त की अभिरक्षा से स्थानीय पुलिस द्वारा बरामद करते हुए अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया था। अभियोजन द्वारा यह भी कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्त अतीक अहमद के पुत्र अभियुक्त उमर का ड्राइवर था और कथित घटना के समय

आवेदक अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित था। दौरान विवेचना यह तथ्य भी पाया गया कि मोबाइल टॉवर से आवेदक अभियुक्त की उपस्थित घटनास्थल पर पायी गयी है और उसी दिन रात में समय 20.38.37 पर आवेदक अभियुक्त फारचयूनर गाडी नं0 यू0पी0 32 जे आर 1804 से देवरिया जेल से लखनऊ आया तथा लोकेशन लखनऊ में पायी गई और प्रश्नगत वाहन की बरामदगी अभियुक्त के पास से सिल्वर हाईट अपार्टमेंट लखनऊ से की गई। प्रकरण में विवेचनोपरान्त साक्ष्य संकलन कर आरोप–पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अन्तर्गत धारा–147, 149, 329, 364ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी. भा0द0सं0 आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आरोप विरचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वह लूटी गई वादी मुकदमा की गाडी को चला रहा था तथा प्रारम्भिक स्तर पर शिकायतकर्ता ने उसे ड्राइवर कह कर सम्बोधित किया है। इरफान नहीं कहा है। उसकी विशिष्ट भूमिका अपराध करने में नहीं रही है और न ही वह शिकायतकर्ता के साथ हुई मारपीट में शामिल ही रहा है। उक्त तथ्यों के आधार पर उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

इसके प्रतिउत्तर में सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक का तर्क है कि आवेदक अभियुक्त शिकायतकर्ता की लूटी गई गाडी का ड्राइवर रहा है और आवेदक अभियुक्त द्वारा ही प्रश्नगत वादी की कार को देवरिया से चला कर लाया था तथा आवेदक अभियुक्त की ही निशादेही पर उक्त गाडी की बरामदगी की गई है। आवेदक अभियुक्त अन्य सह अभियुक्तों के साथ षडयंत्र में शामिल रहा है तथा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसके विरूद्व भी अन्य अभियुक्तों के साथ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपराध गठित करने में आवेदक अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। अतः उसके विरूद्व आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***<u>स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659</u>*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्व करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था अजय अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 1993 ए.आई.आर. 1637 पर विश्वास व्यक्त करते हुए बल दिया गया है कि उक्त विधि व्यवस्था में आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि "It is not necessary that conspirator must know all the details of the scheme nor be a participant as every state. "A conspiracy is a continuing offence and continues to subsist and committed wherever one of the conspirators does an act or series of facts."

विधि व्यवस्था प्रभुनाथ यादव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2008 (60) एसीसी 59 H.C.D.B. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि आरोपित पर गम्भीर संदेह है तो भी आरोप विरचित किया जायेगा।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करना है अपितु मात्र यह देखना है कि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया

मामला बन रहा है अथवा नहीं और यदि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व गम्भीर सन्देह भी हो तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरूद्व आरोप विरचन किये जाने के आधार पर्याप्त होते है। इस प्रकरण में अभियुक्त षडयंत्र के अपराध में भी आरोपित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षडयत्र के अपराध के संदर्भ में स्पष्ट अभिमत देते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि षडयंत्र में सम्मिलित व्यक्ति का सभी तथ्यों का जानना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक स्तर पर अपराध के सभी चरणें में सम्मिलित होना ही आवश्यक है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक अभियुक्त पर मुख्यतः यह आरोप है कि वह शिकायतकर्ता की लूटी गई गाडी का ड्राइवर रहा है और आवेदक अभियुक्त द्वारा ही प्रश्नगत कार देवरिया से चला कर लाया था तथा आवेदक अभियुक्त की ही निशादेही पर उक्त गाडी की बरामदगी की गई है। आवेदक अभियुक्त का अन्य सह अभियुक्तों के साथ षडयंत्र में शामिल रहने का पर्याप्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। जिसके आधार पर उसके विरूद्व भी अन्य अभियुक्तों के साथ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है।

ऐसे में उपरोक्त तर्को तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता परिलक्षित होती है, जो कि इस स्तर पर उसके विरूद्व आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

उपरोक्त समग्र विवेचना तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त इरफान द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–36 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–13.03.2023

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

Digitally signed by AJAY VIKRAM SINGH
Date: 2023.03.13 16:48:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court